



पूर्व मध्य रेल
(लेखा विभाग)

कार्यालय
प्रधान वित्त सलाहकार
हाजीपुर

कार्यालय आदेश संख्या:- अराज०/54/2021

दिनांक: 03.09.2021

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त SO(A) ग्रुप में Appendix-3(IREM) परीक्षा उत्तीर्ण निम्नलिखित कर्मचारियों को अनंतिम रूप से वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), ग्रेड वेतन रु० 4800/- (Level-8) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए पदोन्नति के उपरांत उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापना के आदेश जारी किए जाते हैं:-

Sl. No.	Name (Shri)	Desig	Catg.	Office Working	Posting on promotion under
1	Devarshi Kumar	AA	UR	Sr. AFA/PF/HJP	AFA/Effy/HJP
2	Kundan Kumar	AA	UR	AFA/B&B/HJP	Sr. AFA/Admn/HJP
3	Pramod Kumar Sahu	AA	UR	FA&CAO/CON/MHX	FA&CAO/CON/MHX
4	Abhay Prabhakar	AA	UR	Sr. AFA/Fin/HJP	AFA/NPS/HJP
5	Mintu Sharan	AA	UR	Sr. AFA/Admn/HJP	AFA/PEN/HJP
6	Kumar Priyadarshi	AA	UR	Sr. AFA/T(Co-ord)/HJP	Dy.FA&CAO/S&W/HJP
7	Rajeev Ranjan Sinha	AA	UR	Sr. AFA/XP/HJP	Sr. DFM/SEE
8	Ajay Kumar Jha	AA	UR	Sr. AFA/PF/HJP	Sr. AFA/WS/SPJ
9	Krishna Prasad	AA	UR	Sr. DFM/SEE	Sr. DFM/DDU

नोट:-

- कम संख्या 8 पर अवस्थित अभ्यर्थी, Sr.AFA/WS/SPJ कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक: 31.12.2021(A/N) से भारमुक्त माने जायें तथा पदोन्नति की तिथि से दिनांक: 31.12.2021 तक अस्थायी रूप से SSO/ENGA के रूप में Sr. AFA/Estt./HJP के अधिन कार्य करेंगे।
- किसी कर्मचारी के द्वारा पदोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति में उनका लिखित आवेदन एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किया जाए। ऐसे मामले में IREM Vol I के पैरा 224 के अनुसार उन्हें पदोन्नति हेतु अगले एक वर्ष तक वंचित माना जाएगा।
- पदोन्नत कर्मचारी वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियम 1313 (FR-22) IR-II के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
- उपर्युक्त पदोन्नति कार्यप्रभारित पदों एवं प्रतिनियुक्ति अथवा पूमरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के कारण उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध है। अतः कार्यप्रभारित पदों के संचालन में कमी आने या प्रतिनियुक्ति या पूमरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के पू.म.रे. में वापस आने पर रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निम्नतम वरीयता पर पदोन्नत कर्मचारी को पदावनत किया जा सकता है।
- पदोन्नति का लाभ प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन/डी.ए.आर. का केस न चल रहा हो।
- पदस्थापना/कार्यमुक्त प्राधिकार से इस कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाए।
- यह पदोन्नति आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP(C)30621/2011 एवं SLP(C) 31288/2017 में पारित किए जाने वाले आदेश के आलोक में परिवर्तनीय होगा।

[प्राधिकार: Note # 31 of File No: ECR-HQ0ACCT(ADMN)/9/2020 (Computer No. 3099) & Note#229 of File No: ECR-HQ0ACCT(ADMN)/124/2020 (Computer No. 13527)]

(अरविन्द कुमार सिन्हा)
वसविस/प्रशा०
कृते प्रधान वित्त सलाहकार